

पत्रांक-1प्रा0आ0 (1)-15/2016 / / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सीतामढ़ी/नालन्दा।

पटना-15, दिनांक-

विषय:- सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृत/घायल सरकारी सेवकों/बंदी को अनुग्रह अनुदान भुगतान किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:- जिला पदाधिकारी, नालन्दा का पत्रांक-381 दिनांक-17.05.2017,
जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी का पत्रांक-137 दिनांक-15.04.2017 एवं
पत्रांक-142 दिनांक-21.04.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों द्वारा सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृत/घायल सरकारी सेवकों/बंदी को अनुग्रह अनुदान भुगतान किये जाने तथा घायलों के ईलाज हेतु राशि उपलब्ध कराने के संबंध में मार्गदर्शन की भाँग की गयी है। विभागीय अधिसूचना सं0-1418/आ0प्र0 दिनांक-17.04.2015 में यह सुस्पष्ट है कि सामूहिक सड़क दुर्घटना से होने वाले क्षति में दिनांक-20.03.2015 से एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान देय है। सरकारी कर्मी हो या अन्य कोई, मृत्यु उपरान्त उनके निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान देय है।

अतः अनुरोध है कि तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन


ह0/-

(अनिरुद्ध कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-.....²⁰⁵⁷...../आ0प्र0, पटना-15 दिनांक- 14/3/17 -

प्रतिलिपि-सभी जिला पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/नालन्दा को छोड़कर)/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।